Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 99–2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 14, 2019 (JYAISTHA 24, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

आदेश

दिनांक 14 जून, 2019

संख्या 6/2/2019–1 मंत्रिमंडल.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, में अनुसूची में "आबकारी तथा कराधान विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"1. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों के सिवाय, विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित के स्थापना मामले।

2. आबकारी उपाय – आबकारी, अर्थात मद्यसारिक पान और मादक द्रव्यों के उत्पादन, विनिर्माण, परिवहन, खरीद तथा बिक्री पर नियंत्रण तथा ऐसे पदार्थों, जिनमें शामिल हैं अफीम जुताई नियन्त्रण, विनिर्माण तथा निर्यात के लिए बिक्री, पर या के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क का उद्ग्रहण। प्रशासित विभिन्न अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाये गये नियम:–

   (i) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1)।

   (ii) पूर्वी पंजाब शीरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या X1)।

   (iii) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61)।

3. **कराधान–** निम्नलिखित अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन :–

   i. केन्द्रीय विक्रय–कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74)।

   ii. हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13)।

   iii. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6)।

   iv. हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)।

   v. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19)।

   vi. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12)।

   vii. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13)।

viii. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35)।

ix. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15)।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 जून, 2019.

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 13 जून, 2019.

डी०एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Order

The 14th June, 2019

No. 6/2/2019-1 Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadeo Narain Arya, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:–

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Amendment Rules, 2019.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule under the heading "EXCISE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department)", for existing serial numbers and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely :–

"1. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.

2. Excise Measures-Excise, that is to say, the control over production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of alcoholic liquor and intoxicating drugs and levy of excise duties and license fees on or in relation to such articles including opium, control of cultivation, manufacture and sale for export. The various Acts, administered and the rules framed there under :–

   (i) The Punjab Excise Act, 1914, (Punjab Act 1 of 1914).

   (ii) The East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, (Punjab Act 11 of 1948).

   (iii) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act 61 of 1985).

3. **Taxation–** Administration of the following Acts and rules framed thereunder:–

   (i) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956).

   (ii) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000).

   (iii) The Haryana Value Added Tax Act, 2003, (6 of 2003).

   (iv) The Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 (8 of 2008).

   (v) The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).

   (vi) The Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017).

   (vii) The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017).

   (viii) The Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017).

   (ix) The Goods and Service Tax (Compensation to States) Act, 2017 (Central Act 15 of 2017).

Chandigarh:
The 11th June, 2019.

SATYADEO NARAIN ARYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 13th June, 2019.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

57126—C.S.—H.G.P., Chd.